ई-कामर्स-भारत

भारत के विकास के लिए भारतीय डाटा

- **संदर्भ**- सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नीति 2019 जारी की गई, इसके प्रस्तावों के अंतर्गत विदेश में एकत्रित किया हुआ कोई भी डाटा किसी भी उद्देश्य से भारत के बाहर किसी की कंपनी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

नीति के प्रमुख प्रावधान-

- सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के जरिए डाटा संग्रहण और ई-कॉमर्स मंचों, सोशल मीडिया सर्च इंजन के द्वारा भारत में एकत्रित उपयोगकर्ता की जानकारी सीमा-पार आकड़ों के प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए रूपरेखा बनाई गई है।
- इसके अंतर्गत 6 व्यापक विषयों- डाटा, अवसंरचना विकास, ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म, विनियमन संबंधि मुद्दों, घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, तथा ई-वाणिज्य के द्वारा निर्यात् प्रोत्साहन को शामिल किया है।
- विदेशों में संरक्षित व डाटा प्रसंस्करण का भारत के विकास में इस्तेमाल होना चाहिए तथा भारतीय नागरिकों व कंपनियों को डाटा के मौद्रीकरण का आर्थिक लाभ मिलना चाहिए।
- भारत में किसी संवेदनशील डाटा को एकत्र करने या प्रसंस्कृत करने व दूसरे देश में संरक्षित करने वाली कंपनियों को कुछ शर्तों का पालन करने का प्रावधान हैं- जिसमें विदेश में संरक्षित डाटा के ग्राहक की सहमित के बावजूद भी देश के बाहर किसी अन्य कंपनी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
- नीति में सीमापार डाटा प्रवाह रोकने के लिए कानूनी और तकनीकी फ्रेमवर्क के गठन का प्रस्ताव हैं। इस फ्रेमवर्क का कार्य विदेश में डाटा प्रवाह को प्रतिबंधित करने का आधार तैयार करना है।
- ई-कॉमर्स नीति का उद्देश्य ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।

ई-कामर्स पॉलिसी ड्राफ्ट-कानूनी और तकनीकि फ्रेमवर्क के गठन का प्रस्ताव-

ऑनलाईन शापिंग का क्रेज भारत में बढ़ रहा है। जिससे उपभोक्ताओं और बाजार के सम्मुख कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही है इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाते हुए राष्ट्रीय ई-कामर्स पॉलिसी लाने का फैसला किया गया है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसने सरकार को एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया है। इसमें डिस्काउंट देने की प्रक्रिया, नए प्रोडक्ट की उपलब्धता, शिकायतों का निवारण, डेटा सुरक्षा जैसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

ई-कामर्स- वस्तुओं और सेवाओं के खरीद-बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है और आनलाईन व्यापार का एक तरीका है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से संचालित होती है। इस माध्यम से व्यापार में समय, स्थान और दूरी जैसी बाधाओं को दूर किया जा सकता है।

कम्प्यूटर, इंटरनेट, वर्ल्डवाइड वेव और ई-मेल का उपयोग कर व्यापारिक क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है।

ई-कामर्स व्यापार मॉडल

- बिजनेस टू बिजनेस मॉडल- इसके अंतर्गत एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी या फर्म को सामान की खरीद-बिक्री करती है।
- **बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल** इसके अंतर्गत कंज्यमूर किसी कंपनी से सीधे वस्तु और सेवा की खरीद बिक्री करता है।

- **कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल** इसके अंतर्गत कंज्यूमर सीधे कंज्यूमर से संपर्क करता है। इसमें कंपनियों की कोई भूमिका नहीं होती है।
- **कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल** इसके अंतर्गत कंपनी सीधे कंज्यूमर को वस्तु या सेवा की खरीद-बिक्री करती है।,

ऑनलाइन शॉपिंग मॉडल-

- **मार्केट प्लेस मॉडल** इसके अंतर्गत ऑनलाइन कंपनियाँ केवल एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देती हैं।
- **इन्वेंटरी मॉडल** इसके अंतर्गत ऑनलाइन कंपनियाँ इस प्लेटफार्म पर अपनी कंपनी के द्वारा सामान बेचती हैं।

ई-कॉमर्स के विनियमन के लिए नीति

- ई-कॉमर्स गतिविधियों का संचालन सरकार के कई विनियमों और अधिनियमों द्वारा किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों द्वारा किए गए लेन-देन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिसमें संचार के लिए आधारित सूचना और सूचना के भंडारण के तरीकों के विकल्प का उपयोग शामिल है।
- ई-कॉमर्स कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 और देश के अन्य लागू कानूनों का पालन करना होता है एफडीआई वाली ऐसी कंपनियां केवल उन्हीं गतिविधियों में काम कर सकती हैं जिनकी विशेष रूप से अनुमित हो।
- एफडीआई नियमों के किसी भी उल्लंघन को फेमा के दंडात्मक प्रावधानों द्वारा कवर किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक FEMA का संचालन करता है और वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय, FEMA के प्रवर्तन के लिए प्राधिकारी है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों में संबंधित राज्यों की दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम का अनुपालन शामिल है।
- उपभोक्ताओं से शिकायत प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की स्थापना की गई है। इसने अपने ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए कुछ कंपनियों के साथ साझेदारी की है। यह वैकल्पिक शिकायत निवारण विधि है, जिन कंपनियों ने स्वैच्छिक रूप से भागीदारी है, वे सीधे अपनी निवारण प्रक्रिया के अनुसार इन शिकायतों का जवाब देते हैं और सीधे पोर्टल पर शिकायकर्ता को प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बेहतर बनाया गया है जो सभी वस्तुओं और सेवाओं और ई-कॉमर्स सहित सभी प्रकार के लेन-देन को कवर करता है।
- इस अधिनियम के प्रावधान के तहत, उपभोक्ता विवादों को सरल, त्विरत और सस्ता निवारण प्रदान करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और फोरम नामक तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में दर्ज शिकायतों के त्वरित ध्यान और त्वरित निवारण के साथ उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए एक उपभोक्ता मामलों का विभाग है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ई-कॉमर्स पॉलिसी ड्रॉफ्ट में नकली उत्पादों की बिक्री करने पर विक्रेताओं के खिलाफ कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

- 2. ई-कॉमर्स पॉलिसी ड्रॉफ्ट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माल गोदाम आधारित कारोबार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।
- 3. ई-कॉमर्स पॉलिसी ड्रॉफ्ट में ट्रेडमार्क मालिकों के पास ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराने का विकल्प होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न- वर्तमान परिदृश्य में ऑनलाइन व्यापार का दिनों-दिन प्रसार होता जा रहा है। ई-कॉमर्स संचालित व्यापार किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों यथा-रोजगार, आधारभूत संरचना एवं कृषक कल्याण को प्रभावित कर रहा है?